श्री राधा कृष्ण मंदिर अपर कोटला कलां में 23 से 29 जुलाई तक धूमधाम से मनाया जाएगा गुरु पूजा पर्व

सवेरा न्यूज /राजीब भनोट

ऊना, 22 जुलाई : उत्तर भारत के प्रसिद्ध श्री राधा कृष्ण मंदिर अपर कोटला कलां में राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज के पावन नेतृत्व में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूजा पर्व का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर श्री राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

श्रीमद्भागवत कथा का होगा भव्य आयोजन

राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज

गुरु पूजा पर्व के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस्कॉन मंदिर दिल्ली से पधारे प्रसिद्ध कथा व्यास राधा दामोदर दास जी अपने मुखारविंद से कथा का वाचन करेंगे।

23 से 29 जुलाई तक कभी भी कर सकते हैं गुरु पूजा

राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज ने श्रद्धालुओं को संदेश देते हुए कहा कि गुरु पूजा का कोई एक विशेष दिन नहीं हैए बल्कि श्रद्धालु 23 जुलाई से 29 जुलाई के बीच किसी भी दिन आकर गुरु पूजा कर सकते हैं। हालांकिए 29 जुलाई को गुरु पूजा का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बाबा बाल जी महाराज ने कहा मैं अपने सभी शिष्यों के लिए हर समय उपलब्ध रहूंगाए इसलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें।

अनुशासन और सेवा का दिया संदेश

बाबा बाल जी महाराज ने सभी श्रद्धालुओं से मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का पालन करने और पूरी शांति व विनम्रता के साथ गुरु पूजा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मंदिर में जगह-जगह सेवादारों की तैनाती की गई है। सभी श्रद्धालु उनके निर्देशों का पालन करें।

उन्होंने कहा कि किसी को धक्का न दें और न ही आगे निकलने की होड़ करें। गुरु पूजा पूरी शांति और अनुशासन के साथ करें।

सेवा ही परम धर्म

बाबा बाल जी महाराज ने कहा कि जीवन में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, गोसेवा और जरूरतमंदों की सेवा को अपनाएं। माता-पिता की सेवा करना और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहना ही सच्ची गुरु पूजा है।

राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज ने सभी के जीवन में सुखए शांति और मंगल की कामना की है।

अधर में लटकी 1.11 करोड़ की परियोजना ने फिर पकड़ी गति, निर्माण कार्य दोबारा शुरू

सवेरा न्यूज, कपिल सूद

अंब, 22 जुलाई; नगर पंचायत अंब के वार्ड नंबर-5 में 1.11 करोड़ रुपये की लागत से बन रही कूड़ा-कचरा प्रबंधन परियोजना का लंबे समय से बंद पड़ा निर्माण कार्य आखिरकार फिर शुरू हो गया है। करीब एक साल से अधिक समय तक रुका रहने के बाद बुधवार से निर्माण कार्य दोबारा शुरू करवा दिया गया। इससे पहले बीते मंगलवार को नगर पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर कार्य में आ रही बाधाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के बाद निर्माण एजेंसी को काम में तेजी लाने और तय समय में परियोजना पूरी करने के निर्देश दिए गए। नगर पंचायत अध्यक्षा अनुसूया रानी ने बताया कि यह परियोजना नगर पंचायत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पूरा होने से कूड़ा-कचरा प्रबंधन व्यवस्था में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि विभागों के साथ लगातार समन्वय के बाद अब निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो पाया है।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर नगर पंचायत उपाध्यक्ष सुरेश अरोड़ा, सचिव हर्ष गुप्ता, जेई परमोद कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

डाकिए के कमरे से मिला डेढ़ साल की डाक का ढेर, कर्मचारी निलंबित

एटीएम, आधार व पैन कार्ड सहित सरकारी दस्तावेज बरामद, विभागीय जांच शुरू

सवेरा न्यूज/गौरव जैन

सुजानपुर, 22 जुलाई : स्थानीय उपमंडल के उपडाकघर भलेठ के अंतर्गत आने वाली डाक शाखा करोट में तैनात एक ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस एमडी) के कमरे से बड़ी संख्या में चिट्ठियां, सरकारी दस्तावेज, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा अन्य डाक सामग्री बरामद होने का मामला सामने आया है। शिकायतों के आधार पर डाक विभाग के निरीक्षक आशीष शर्मा ने निरीक्षण के दौरान इस अनियमितता का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि संबंधित डाकिया करीब 20 गांवों के लोगों की डाक नियमित रूप से वितरित नहीं कर रहा था। जांच के दौरान होल्ड पर रखी गई डाक के प्राप्तकर्ताओं से संपर्क किया गया तो कई लोगों ने डाक न मिलने की पुष्टि की, जबकि कुछ ने बताया कि डाक तो मिली, लेकिन उनसे प्राप्ति के हस्ताक्षर नहीं लिए गए। इसके बाद डाकिए के कमरे की तलाशी लेने पर पिछले करीब डेढ़ वर्ष की बड़ी मात्रा में डाक बरामद हुई। विभाग ने आरोपी डाकिए को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि यह जांच की जा रही है कि इतनी लंबी अवधि तक डाक वितरण में लापरवाही कैसे होती रही। बरामद सभी डाक को संबंधित लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

5 चालान के बाद तहबाजारी लाइसेंस होगा रद्द, शिमला में अतिक्रमण पर निगम का शिकंजा

सवेरा ब्यूरो

शिमला, 22 जुलाईः राजधानी शिमला में सड़कों और फुटपाथों पर बढ़ते अतिक्त्रमण को रोकने के लिए नगर निगम ने अब कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के साथ नियम भी सख्त कर दिए हैं। निगम ने लोअर बाजार को नो वेंडिंग जोन घोषित करते हुए स्पष्ट किया है कि यहां सड़क किनारे या बाजार में बैठकर तहबाजारी करने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ चालान किया जाएगा। वहीं पांच बार चालान होने पर संबंधित तहबाजारी का स्थायी लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम प्रशासन के अनुसार जिन तहबाजारियों को आजीविका भवन में स्थान आवंटित किया गया है, उन्हें वहीं बैठकर कारोबार करना होगा। निगम ने 100 से अधिक तहबाजारियों के लिए यहां व्यवस्था की है। इसके बावजूद यदि कोई सड़क पर कारोबार करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एमसी शिमला का अतिक्रमण विरोधी अभियान पिछले 17 दिनों से लगातार जारी है। बुधवार को लोअर बाजार, फिनगास और कार्ट रोड में कार्रवाई करते हुए चार तहबाजारियों का सामान जब्त किया गया। नगर निगम अब संजौली समेत शहर के अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी अभियान चलाने की तैयारी में है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य किसी की आजीविका छीनना नहीं, बल्कि तहबाजारियों को निर्धारित स्थान उपलब्ध करवाकर शहर को व्यवस्थित करना है। सड़क और फुटपाथ खाली रहने से पैदल चलने वालों को सुविधा मिलेगी और यातायात व्यवस्था भी सुचारु होगी।

कार्यालय ग्राम पंचायत जला कासना
विकास खंड बाली चौकी, जिला मंडी हि.प्र.

निविदा सूचना

ग्राम पंचायत जला कासना द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए विभिन्न कार्य हेतु आवश्यक सामग्री जैसे रेत, बजरी, सीमेंट चादर, किराया, ईंट, पत्थर, जेसीबी, क्रेट,एंगल PVC, HDC, CIB,पाइप व पंचायत के कार्य में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री की निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा 31/07/2026 तक पंचायत कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। जो पंचायत की आगामी बैठक में खोली जाएगी। निविदा दाता के पास अपना जीएसटी नंबर होना चाहिए तथा 50000 की राशि एफडीआर के रूप में निविदा के साथ जमा करवानी होगी। वैंडर को गाड़ी की आरसी निविदा के साथ देनी होगी।

हस्ता/- प्रधान सचिव, ग्राम पंचायत जला कासना, वि.खं.बाली चौकी जिला मंडी, हि.प्र.

खोया-पाया

प्रवासीका पत्नी श्री मनी राठौर निवासी गांव पालीयो, डा. बालामण्डी, तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर हि.प्र. सूचित करती हूं कि हाजिर थाना आकर एक लिखित शिकायत पत्र पेश पुलिस किया जिसके मजमून से पाया गया कि शिकायत कर्ता की 10वीं, 12वीं, B.A. व M.A. की मार्कशीट दिनांक 12.03.2026 को पांवटा साहिब में कही गुम हो गई है। जिसकी तलाश इसने अपने तौर पर कर ली है जो कहीं भी दस्तेयाब न हुये है। शिकायत कर्ता अपने उपरोक्त गुमशुदा कागजात को दोबारा से बनवाना चाहती है। जिसके लिये इसे पुलिस रिपोर्ट की आवश्यकता है। शिकायत कर्ता को बाद देने नकल रपट रोजनामचा हिदायत दी गई कि उपरोक्त दस्तावेज अगर कहीं मिलते है तो सम्बन्धित थाना व पुलिस को सूचित करें या दिये गए मोबाईल नं. पर सम्पर्क करें :-97362-92824

पिरामल फाइनेंस लिमिटेड
Piramal Finance
(पूर्व में पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)
(जिसे आगे पीएफएल/सुरक्षित ऋणदाता के रूप में संदर्भित किया गया है) CIN:L65910MH1984PLC032639
पंजीकृत कार्यालय :यूनिट संख्या–601, छठी मंजिल, पिरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, अग्निशमन केंद्र के समक्ष, एल.बी.एस. मार्ग,कुर्ला (पश्चिम), मुंबई – 400070, महाराष्ट्र।
शाखा कार्यालय :यूनिट संख्या–2, प्रथम तल, श्याम नगर,होटल डिवेयर के समीप, नमस्ते चौक,करनाल, हरियाणा – 132001।

कब्जा सूचना
सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के रूल 8-(1) और अपेंडिक्स- IV के अनुसार इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए

जबकि, नीचे साइन करने वाला व्यक्ति, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत पिरामल फाइनेंस लिमिटेड (पहले पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) (जिसे आगे PFL/सिक्योर्ड क्रेडिटर कहा जाएगा) का ऑथराइज्ड ऑफिसर है और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 के रूल 3 के साथ सेक्शन 13(12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, कंपनी के ऑथराइज्ड ऑफिसर द्वारा नीचे बताए गए बॉरोअर/गारंटर को नोटिस में बताई गई रकम को नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकाने के लिए डिमांड नोटिस जारी किया जाता है। उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता(ों)/ गारंटर(ों) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के साथ सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ प्रदत्त शक्तियों के तहत नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से निपटने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार पिरामल फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) (जिसे आगे पीएफएल/सुरक्षित लेनदार के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की एक राशि इसमें नीचे वर्णित अनुसार सहित ब्याज के अधीन होगा,

क्र. सं.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम एवं ऋण कोड	बंधक संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	कब्जा लेने की तिथि
1.	ऋण कोड संख्या: BLSA00003418 (चंडीगढ़ – सेक्टर 22 शाखा) उधारकर्ता: - श्री देश राज (सह-उधारकर्ता-1) श्रीमती सीता देवी	तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश स्थित मोहाल मिनी सचिवालय नालागढ़ में अवस्थित सम्पूर्ण भूमि एवं संपत्ति, जिसका खसरा-खतौनी संख्या 38/38 तथा खसरा संख्या 1257/1139/934/331 है। उक्त संपत्ति नालागढ़, जिला सोलन – 174101, हिमाचल प्रदेश में स्थित है।	दिनांक : 16-03-2026 ₹ 20,26,297/- (रुपये बीस लाख छब्बीस हजार दो सौ सत्तानवे मात्र)	18-07-2026

तिथि : 23.07.2026 | स्थान : हिमाचल प्रदेश
हस्ता/- (अधिकृत अधिकारी), पिरामल फाइनांस लिमिटेड

SBI | भारतीय स्टेट बैंक
होम लोन सैंटर
[नियम 8- (1)] सांकेतिक कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, भारतीय स्टेट बैंक, मेहतपुर, जिला ऊना (हि.प्र.) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित तिथि को उधारकर्ता को डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया।

उधारकर्ता/गारंटर राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता तथा आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने खाते के सामने उल्लिखित तिथि को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 तथा 9 के साथ अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

खास तौर पर कर्ज लेने वाले/गारंटर और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे प्रॉपर्टी/प्रॉपर्टीज से कोई डील न करें और प्रॉपर्टी/प्रॉपर्टीज से कोई भी डील करने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेहतपुर, जिला ऊना (हि.प्र.) नीचे बताई गई रकम और उस पर दूसरे चार्ज/खर्च का चार्ज लगाएगा।

प्रॉपर्टी/प्रॉपर्टियों के मालिकों/कब्जा करने वालों को यह भी बताया जाता है कि वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मदद से एक्ट की धारा 14 के तहत जबरदस्ती के इस्तेमाल से बचने के लिए 30 दिनों के अंदर असल मूल कब्जा नीचे साइन करने वाले को सौंप दें। और अगर कर्ज लेने वाला/गारंटर बकाया नहीं चुकाता है, तो बैंक का बकाया वसूलने के लिए, एक्ट के तहत बताए गए तरीके से प्रॉपर्टी/जमीनें बेच दी जाएंगी।

कर्जदार(ों) / गारंटर (ों) का नाम	अचल प्रापर्टी का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	बकाया राशि
कर्जदार : श्री सुभाष चंद पुत्र श्री सोम नाथ, वार्ड नंबर 2, बनगढ़, तहसील और जिला ऊना, (हि.प्र.) 174315. गारंटर : श्री मस्त राम पुत्र श्री रुलिया राम, V.P.O चरतगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.) 174315.	जमीन का वह हिस्सा व खंड और बिल्डिंग लैंड जिसका माप 0-02-50 वर्ग मीटर है, जो 0-06-36 वर्ग मीटर जमीन का 250/636 हिस्सा है, जिसका खेवट नंबर 474, खतौनी नंबर 761, खसरा नंबर 2196, 2197, 2200 है, जो साल 2007-08 की नकल जमाबंदी के अनुसार मोहाल बनगढ़, तहसील और ज़िला ऊना की रेवेन्यू लिमिट में है, साथ ही बनाए गए या बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर भी।	04.05.2026	17.07.2026	Rs. 3,93,134/- (रुपये तीन लाख तिरानवे हजार एक सौ चौंतीस सिर्फ) 04.05.2026 तक, साथ ही बताई गई रकम पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भविष्य का ब्याज, साथ ही अचानक होने वाले खर्च, लागत, चार्ज वगैरह।

दिनांक : 21.07.2026 | स्थान : देहरा | प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय ग्राम पंचायत झिड़ी
विकास खंड बाली चौकी, जिला मंडी हि.प्र.

निविदा सूचना

ग्राम पंचायत झिड़ी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026- 2027 के लिए विभिन्न कार्य हेतु आवश्यक सामग्री जैसे रेत, बजरी, सीमेंट चादर, किराया, ईट,पत्थर, जेसीबी, क्रेट, एंगल PVC, HDC, CIB,पाइप व पंचायत के कार्य में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री की निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा 03/08/2026 तक पंचायत कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। जो पंचायत की आगामी बैठक में खोली जाएगी। निविदा दाता के पास अपना जीएसटी नंबर होना चाहिए तथा 50000 की राशि एफडीआई के रूप में निविदा के साथ जमा करवानी होगी।

हस्ता/- प्रधान सचिव, ग्राम पंचायत झिड़ी, वि. खं. बाली चौकी जिला मंडी, हि.प्र.

SBI | ब्रांच ऑफिस: साई रोड, बद्दी, जिला सोलन
ई-नीलामी बिक्री सूचना

ईएमडी और डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जमा करने की आखिरी तारीख 06.08.2026 या उससे पहले है

आम जनता या किसी इच्छुक व्यक्ति/पार्टियों को सूचित किया जाता है कि पब्लिक ई-ऑक्शन/सेल ई-ऑक्शन पोर्टल https://baanknet.com के जरिए होगी।

कर्जदार का नाम	व्हीकल निर्माण एवं मॉडल	बकाया राशि	आरक्षित कीमत / ईएमडी	बोली वृद्धि राशि	जांच की तिथि एवं समय / ई-नीलामी की तिथि एवं समय
उधारकर्ता: मिस दुर्गा पुत्री चनार दीप साहनी, हाउस नंबर 420 बी2, शिव मंदिर के पास, धरमपुर कॉलोनी, पिंजौर 134102। 2. श्री श्याम इंडस्ट्रीज, बस स्टैंड के पास, गांव नानकपुर, पिंजौर, पंचकूला, हरियाणा-134102	हुंडई मोटर लिमिटेड EXTER 1.2 MT KAPPA S CNG 2023, रजिस्ट्रेशन नंबर HR 49 J 8628, इंजन नंबर G4LAPM680166, चेसिस नंबर MALB281CLPM028517.	Rs. 7,38,521/- (मूलधन) + Rs.84,769 / - (ब्याज) = Rs.8,23,290/-	Rs. 4,60,000/- / Rs. 46,000/-	Rs. 10,000/-	03.08.2026 प्रातः 11.00 बजे से 04.00 बजे / 07.08.2026 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे

ई-ऑक्शन बैंक के अपूर्ण सर्विस प्रोवाइडर: बैंकनेट के जरिए उसकी ऑक्शन साइट https://baanknet.com पर किया जाएगा। ऑनलाइन ई-ऑक्शन बिड फॉर्म, डिक्लेरेशन, ऑनलाइन ऑक्शन सेल के जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस वाले ई-ऑक्शन टेंडर डॉक्यूमेंट्स https://baanknet.com पर उपलब्ध हैं। जो बोली लगाने में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें अपना EMD वेब पोर्टल: https://baanknet.com के जरिए जमा करना होगा (यूजर ID और पासवर्ड https://baanknet.com पर लॉगिन ID और पासवर्ड से नाम रजिस्टर करके मुफ्त में मिल सकता है। EMD, बोली लगाने वाले के अपने वॉलेट में NEFT के जरिए देना होगा जो बैंकनेट की ऑक्शन साइट पर रजिस्टर्ड है। कृपया ध्यान दें कि EMD को बैंकनेट के साथ रजिस्टर्ड वॉलेट में 06.08.2026 को शाम 16.00 बजे से पहले जमा करना होगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर को प्रॉपर्टी पर कोई बोझ नहीं पता है। हालांकि, बोली लगाने का इरादा रखने वाले बोली लगाने वालों को अपनी बोली जमा करने से पहले बोझ, ऑक्शन में रखी गई गाड़ी का टाइटल और गाड़ी से जुड़े क्लेम/राइट/ड्यूज के बारे में खुद से जांच कर लेनी चाहिए। ई-ऑक्शन एडवर्टाइजमेंट बैंक का कोई कमिटमेंट या कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और न ही माना जाएगा। गाड़ी को सभी मौजूदा और भविष्य के बोझ के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे बैंक को पता हों या नहीं। ऑथराइज्ड ऑफिसर / सिक्योर्ड क्रेडिटर किसी भी तरह से मिसप्रिंटिंग एरर या किसी थर्ड पार्टी क्लेम / राइट्स / ड्यूज के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। सेल https://baanknet.com के तहत बताए गए नियमों / कंडीशंस के अधीन होगी। कॉन्टैक्ट ब्रांच मैनेजर अनिल कुमार तोमर, मोबाइल नंबर 96711 95613, ईमेल आईडी: sbi.18341@sbi.co.in

1. सफल बिडर की यह पूरी ज़िम्मेदारी होगी कि वह अपनी लागत और खर्चे पर गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाए।
2. गाड़ियां 'जैसी है जहां है' 'जैसी है वैसी है' और 'जो भी जहां है' कंडीशन में बेची जाएंगी।

दिनांक : 22.07.2026 | स्थान : बद्दी | ब्रांच मैनेजर

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
रीजनल ऑफिस, शिमला :- फर्स्ट फ्लोर, डोगरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स (संकेत हाइट्स), एप्पल मंडी के पास, भट्टाकुफर, संजौली, शिमला, हि.प्र. - 171006
ई-नीलामी बिक्री सूचना
डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए यहां स्कैन करें

ANNEXURE-E
चल संपत्ति/संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
[चल संपत्ति के लिए नियम 6(2) के साथ परिशिष्ट-II A]

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) के प्रावधान के साथ पठित।

आम जनता और खास तौर पर कर्जदार(ों), मार्टगेजर(ों) और गारंटर(ों), को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे बताई गई मूवेबल प्रॉपर्टी/प्रॉपर्टीज जो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास हाइपोथेकेटेड/मॉर्टगेज्ड/चार्ज्ड है, और जिनका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा, सिक्योर्ड क्रेडिटर के ऑथराइज्ड ऑफिसर ने ले लिया है, उन्हें नीचे बताए गए अकाउंट/अकाउंट्स में बकाया रकम की रिकवरी के लिए "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है" और "जहां है" बेसिस पर बेचा जाएगा। पहचाने गए किसी भी बकाया की लायबिलिटी खरीदार पर होगी, बैंकर पर नहीं। कर्जदार(ों), मार्टगेजर(ों) और गारंटर(ों), सिक्योर्ड एसेट/बकाया/रिजर्व प्राइस/ई-ऑक्शन की तारीख और समय, EMD और बिड बढ़ाने की रकम की डिटेल्स नीचे दी गई है :-

क्र. सं.	ब्रांच का नाम और कर्जदार(ों)/मार्टगेजर(ों)/ गारंटर(ों) पता	चल प्रॉपर्टी का विवरण, अगर कोई हो तो ज्ञात भार के साथ।	कुल बकाया	ई-ऑक्शन की तारीख और समय	रिजर्व प्राइस / बयाना राशि / बोली बढ़ाने की रकम	कब्जे का स्टेटस (कंस्ट्रक्टिव / फिजिकल)	प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन की तारीख और समय
1.	कोटलानाला ब्रांच :- उधारकर्ता :- श्री गुरव वैद पुत्र कृष्ण देव, निवासी उजाला हाउस सूर्य विहार, राजगढ़ रोड, तहसील सोलन, एच.पी.- 173212	गाड़ी का हाइपोथेकेशन :- (कार) टोयोटा अर्बन क्रूजर (प्रीमियम MT); रजिस्ट्रेशन नंबर HP64B-6866; चेसिस नंबर MA3PYGJ1SML865316; इंजन नंबर: K15BN4205977; गाड़ी का रंग : सनी व्हाइट; मैन्युफैक्चरिंग साल 2021	रु. 5,70,625/- (मूलधन) + रु. 49,565.30 (बिना लगाया गया ब्याज) + Rs. 4,560.55 (ब्याज वापस) + Rs. 5,948/- (पेनल ब्याज)। कुल बकाया 6,30,698.85 (सिर्फ़ छह लाख तीस हज़ार छह सौ अट्ठानवे रुपए पचासी पैसे) 19.07.2026 तक + वसूली तक आगे का ब्याज और चार्ज।	11.08.2026 from 02:00 P.M. to 06:00 P.M.	Rs. 4,05,000/- / Rs. 40,500/- / Rs. 15,000/-	बैंक का भौतिक कब्जा	23.07.2026 से 10.08.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक (सिर्फ़ पहले से अपॉइंटमेंट लेकर)

कॉन्टैक्ट नंबर: 62832-85056, ऑथराइज्ड ऑफिसर
EMD जमा करने की आखिरी तारीख : 11.08.2026 शाम 04:00 बजे तक
*ई-ऑक्शन शुरू होने की तारीख और समय : 11.08.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक - EMD पेमेंट का तरीका : NEFT
बिक्री की डिटेल्ड शर्तों के लिए कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm पर दिए गए लिंक को भी देखें; https://Baanknet.com
इसे सरफेसी एक्ट 2002 के तहत कानूनी 15 दिन का सेल नोटिस माना जा सकता है

तारीख : 22.07.2026 | स्थान : सोलन (हि.प्र.) | अधिकृत अधिकारी

कृषि आजीविका सेवा केंद्र, महारल
निविदा सूचना

वित्त वर्ष 2026-2027 के लिये NRLM के अन्तर्गत एकीकृत कृषि संगठन के लिये निम्नलिखित मशीनरी की आपूर्ति के लिये निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

1. Turmeric Washing & Cutting Machine
2. Bran Making Machine (चोकर मशीन)
3. Bakery Setup
4. Vermicelli - सेवई

1. आपूर्तिकर्ता के पास GST नंबर और Tin नंबर होना जरूरी है 2. आवेदक 24-07-2026 को सायं 3:00 बजे तक नई उड़ान CLF मुख्य बाजार महारल के पास आजीविका सेवा केंद्र महारल (Integrated family Cluster office) में स्वयं अथवा डाक के माध्यम से उपरोक्त मशीनरी की आपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। 3.निविदाएं CLF-E बैठक में 25-07-2026 शनिवार को 11:30 A.M. पर खोली जायेंगी। 4. मशीनरी की specifications किसी भी कार्य दिवस CLF के नई उड़ान CLF के कृषि आजीविका सेवा केंद्र, महारल, नजदीक (ग्राम पंचायत महारल)में आकर पता कि जा सकती है।

Office address: LSC Maharal
(आजीविका सेवा केंद्र महारल)
(Integrated Farming cluster)

कार्यालय ग्राम पंचायत बिशा
विकास खंड, कंडाघाट, जिला सोलन हि.प्र.

निविदा आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की ग्राम पंचायत बिशा में विभिन्न विकास कार्यों के लिए निम्नलिखित सामग्री हेतु वित्त वर्ष 2026-27 के अगस्त माह 2026 से मार्च 2027 तक के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदाएँ 07अगस्त 2026, प्रातः 11:00 बजे तक पंचायत कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए।

1. रेत,बजरी,पत्थर,गटका,रोड़ी प्रति क्यूबिक फीट(M-form & W X(जो भी लागू हो) form सहित। 2. सीमेंट, अन्य मैटेरियल, इत्यादी का कैरिज/ढुलाई लोडिंग-अनलोडिंग सहित प्रति कि0मी0 कि दर से 3. स्टील,सरिया,एंगल,पी.वी.सी. पाइप, ईंटें,स्टरिंग, एलुमिनियम कार्य(मैटेरियल और लेबर सहित), Paver Block और Cement Tiles आदि की दरें प्रमाणित इकाइयों सहित 4. खिड़की, दरवाजे, ग्रिल, पेंट, टाइल्स, बिजली सामान आदि की दरें प्रमाणित इकाइयों सहित 5. भूमि कटिंग वाया जे.सी.बी.और Breaker (Roker)प्रति घंटा की दर से 6. मुरम्मत सोर उर्जा, कंपोस्ट बेंच आदि 7. मिट्टी इत्यादी का ढुलान टिप्पर द्वारा प्रति कि.मी. की दर से 8. कार्यों के बोर्ड्स, लेखन सहित, प्रति बोर्ड की दर से 9. निविदाधारक जिस की निविदा रेत,बजरी,पत्थर,गटका,रोड़ी, इंटें, जे.सी.बी.और Breaker (Roker) इत्यादि की पास होगी उसे पंचायत के साथ Aggrement हस्ताक्षर करना होगा **नोट:-** जी.एस.टी./टिन नंबर और M.X.W-Form(जो भी लागू हो) प्रत्येक सप्लाई पर अनिवार्य है। निविदाएँ ग्राम पंचायत कार्यालय में दिनांक 07अगस्त 2026 को प्रातः 11:00 बजे उपरांत पंचायत बैठक में खोली जाएगी। शर्तें पूरी न करने वाली निविदाओं को रद्द करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा और अगर निविदाधारक समय से सप्लाई नहीं देता है तो परित दर पर अन्य सप्लायर से क्रय करेगी और कोई भी निविदा समय सीमा में पंचायत को प्राप्त नहीं होती तो स्थानीय दरों पर M.X.W-Form(जो भी लागू हो) देने वाले सप्लायर को पंचायत प्राधिकृत करेगी तथा परित निविदाओं द्वारा दी जाने वाली सामग्री की दर 31 मार्च 2027 तक पूरी पंचायत क्षेत्र के लिए लागू होगी। इसके इलावा परित निविदा धारक के पास समय पर सामग्री उपलब्ध न होने की दशा में पंचायत उक्त निविदा में परित दर खुले बाज़ार से सामग्री क्रय करने के लिए प्राधिकृत होगी। किसी सामग्री की निविदा प्राप्त न होने पर पंचायत अपने स्तर पर किसी को भी स्थानीय दरों पर सप्लाई देने के लिए प्राधिकृत होगी। सामग्री की मांग व सप्लाई पंचायत में कार्यानुसार की जाएगी।

हस्ता/- प्रधान/सचिव
ग्राम पंचायत बिशा, विकास खंड, कंडाघाट जिला सोलन, हि.प्र.

कार्यालय ग्राम पंचायत बोहल टालिया
डा. भुईरा, विकास खण्ड राजगढ़ जिला सिरमौर हि.प्र.

प्रस्ताव प्रतिलिपि कार्यवाही

आज दिनांक 08/07/2026 को ग्राम पंचायत बोहल टालिया की मासिक बैठक श्रीमती बेला देवी प्रधान ग्राम पंचायत बोहल टालिया की अध्यक्षता में होकर निम्न कार्यवाही अमल मे लायी गई।

प्रस्ताव संख्या :-10, कोरम / पूर्ण/ विषय :-निविदाएं आमंत्रित करने बारे

बैठक मे चर्चा उपरांत सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बोहल टालिया मे आगामी 2026-27 वर्ष मे विकास कार्यों के निष्पादन हेतु सामग्री पूर्ति निविदाएं आमंत्रित की जाती है। सामग्री विवरण-रेत, बजरी, ईट, पत्थर, जे.सी.बी. मशीन, टाईल, सरिया, स्टेरिंग, पेंट, जी.आई .पाईप, सीवरेज पाईप, लकड़ी जैसे दरवाजे, खिड़की, लोहे के ऐंगल, चदर शीट, चक्का टाईल, इन्टरलॉक टाईल